उनवान सन्मति कुमार बनाम महेन्द्र कुमार

मुकदमा नं.

20/12/17	वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दि. 6/2/18 को पेश हो।
6/2/18	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलांट ने बहस हेतु समय चाहा। पूर्व में काफी अवसर दिये जा चुके है अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दि. 20/2/18 को पेश हो।
20/2/18	वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दि. 21/2/18 को पेश हो।
21/2/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान ने कार्य स्थगित कर रखा है पत्रावली आयन्दा दि. 22/2/18 को पेश हो।
22/2/18	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील रेस्पो. ने एक आवेदन बाबत प्राथमिक विधिक आपत्ति पेश किया जो शामिल रहे। नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र दि. 28/2/18 को पेश हो।
28/2/18	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलांट ने जवाब पेश किया जो शामिल रहे। बहस प्रा.पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र दिनांक 12/3/18 को पेश हो।
12/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत विधिक आपत्ति व जवाब प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पो. ने विधिक आपत्ति आवेदन में अंकित किया है कि अपीलांट अपीलाधीन नामांतकरण में पक्षकार नहीं है अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति के समय अपील प्रस्तुति निमित्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ना ही अपील प्रस्तुति की प्रार्थना अपील मेमो में की गई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। अपीलाधीन नामांतकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट को धारा 96 CPC के प्रार्थना-पत्र के तहत अपील प्रस्तुत करने का आवेदन पत्र पेश करना होता है अपीलांट द्वारा इस तरह का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट व्यथित व्यक्ति पक्षकार है अपीलांट द्वारा भूल व सहवन से धारा 96 CPC का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के अनुसार अपीलांट को उसके अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता है अपीलांट द्वारा अपील मेमो में सम्पूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की गई है जिसके लिये किसी विशेष अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो के पृष्ठ संख्या 5 पर बिन्दु संख्या 2 में वंशावली दर्शायी गयी है जो निम्नानुसार है -

उपरोक्त वंशावली अनुसार अपीलांट को व्यथित पक्षकार नहीं कहा जा सकता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में अपीलांट द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी घोद के समक्ष स्थगन प्रार्थना-पत्र दि. 3/9/15 प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है अपीलांट द्वारा अपील मेमो में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घोद के समक्ष प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना-पत्र का जिक्र नहीं

Copy - Not Official

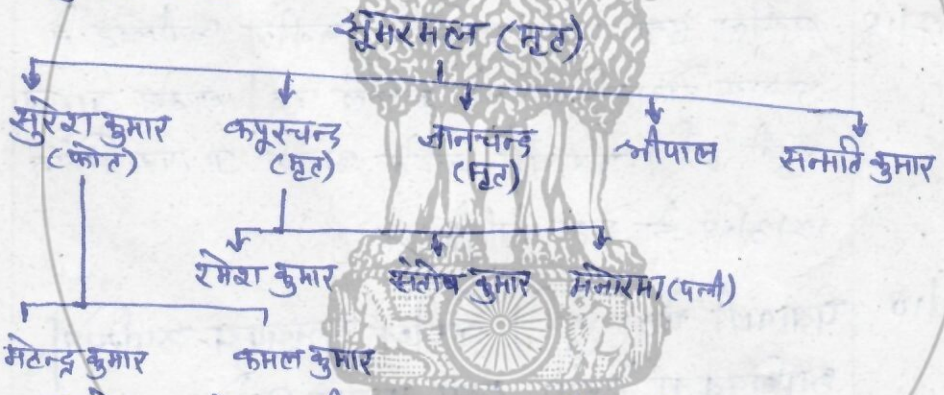

सन्मति कुमार बनाम महेन्द्र कुमार

किस्म मुकदमा मु. नं. 54 वर्ष 2014

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	किया गया है अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय धारा 96 cpc का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत RLW 2013 (L) पृष्ठ संख्या 341 पेश किया जिसके अनुसार कलेक्टर के समक्ष तहसीलदार द्वारा अपील दायर की गई- अपील की पोषणियता- अभिनिर्धारित- कोई भी व्यक्ति जो किसी भी आदेश या डिक्री में पक्षकार नहीं हो तो वह न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसे आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील दायर नहीं कर सकता है अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के समक्ष एवं अन्य किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा हो तो उसका उल्लेख अपील मेमो में नहीं किया है जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के समक्ष प्रस्तुत वाद दिनांक 3/3/14 की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है इस प्रकार अपीलांट द्वारा अन्य किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने संबंधी कोई तथ्य न्यायालय हाजा को प्रकट नहीं किया है अपीलांट अपीलाधीन नामांतकरण में तृतीय पक्षकार है अपीलाधीन नामांतकरण से अपीलांट को तृतीय पक्षकार होने के नाते किसी प्रकार की राहत प्रदान किया जाना संभव नहीं है अगर अपीलांट का किसी प्रकार का हित निहित हो तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोई करे। अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति स्वीकार की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दि. 12/03/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति. जिला कलक्टर, सीकर